24 05/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। आदेश प्रति TDR बाली व पटवारी हल्का चामुण्डेरी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली कैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण सं. 50/95 Gems No. 1995/00009

दायरा तिथि : 19.07.1993

निर्णय तिथि: 24-05-2024

वादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

प्रतिवादीगण :–

1. मोटा पुत्र हेमा जाति मेणा निवासी लुन्दाडा के कायम मुकाम वारिशानः–
   1/1 हरतना पुत्र मोटा के कायम मुकाम वारिशः–
      1/1/1 लादाराम पुत्र हरतना जाति मीणा निवासी लुन्दाडा
      1/1/2 नेनू पुत्री हरतना जाति मीण नि. लुन्दाडा हाल निवासी रेला बेडा
      1/1/3 भेरकी पुत्री हरतना जाति मीणा नि. लुन्दाडा हाल कोठार
      1/1/4 भंवरलाल पुत्र हिन्दु जाति मीणा निवासी लुन्दाडा तहसील बाली
   1/2 हिन्दु पुत्र मोटा जाति मेणा निवासी लुन्दाडा के कायम मुकाम वारिशः–
      1/2/1 भंवरलाल पुत्र हिन्दु कौम मेणा निवासी लुन्दाडा तहसील बाली
2. गणेश पुत्र धुला जाति सुथार निवासी चिमनपुरा के कायम मुकाम वारिशानः–
   2/1 मंशाराम, मोहनलाल, नारायणलाल पिसरान् गणेश
   2/2 कन्यादेवी, नन्दादेवी पुत्रिया गणेश सुथार निवासीगण चिमनपुरा तहसील बाली
3. मना पुत्र धुला सुथार निवासी चिमनपुरा तहसील बाली

उपस्थितिः–

1. श्री ओमदवे ..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से
2. श्री हेमन्त बोहरा..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या...02 की ओर से
3. श्री रमेश राव नायब तहसीलदार ..... पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 24-05-2024

प्रकरण अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड की जांच कर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चामुण्डेरी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा मोटा पुत्र देवा मेणा अनुसूचित जन जाति की खातेदारी थी। जो जरिये म्यूटेशन संख्या 78 दिनांक 9.6.60 को मना, गणेश पि0 धूला सुथार(स्वर्ण जाति) के हस्तान्तरण की गयी। उक्त बेचान व हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (b) का उल्लंघन होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवाई के पश्चात् इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 536/79 में दिनांक 16.09.1980 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली स्वीकार करते हुये धारा 175 (4ए) के तहत इस आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में वर्णित भूमि राजकीय सिवाय चक दर्ज की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर मना, गणेश पिसरान् धुला सुथार के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई। जो अपील संख्या 186/80 दिनांक 09.05.1983 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी, बाली के आदेश दिनांक 16.09.1980 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये प्रतिप्रेषण करते हुये प्रकरण में वाद के तौर पर कार्यवाही करते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के निर्देश पारित किये गये। जिन निर्देशो की अनुपालना में प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिया गया। तथा दिनांक 28.10.1989 को पुनः इस न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा (4ए) के तहत प्रकरण में वर्णित आराजी चामुण्डेरी के पुराने खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया। जिसकी अपील पुनः व्यथित पक्षकारो द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में की गई। जो अपील दिनांक 22.05.1992 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी, बाली के आदेश दिनांक 28.10.89 को अपास्त किया तथा प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषण कर वाद के तौर पर कार्यवाही कर निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसकी अनुपालना में प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में वाद बिन्दु कायम किये गये। वाद बिन्दु कायमी के पश्चात् प्रकरण को वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। वादी पक्ष को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजुद कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार दिनांक 30.07.2019 को वादी पक्ष की साक्ष्य बन्द करते हुये प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। प्रतिवादी पक्ष को भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजुद मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादी पक्ष का मौखिक साक्ष्य का अवसर भी बंद किया। प्रकरण के चलते प्रतिवादी पक्षकारो की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिशान को रिकार्ड पर लिया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वादी पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.....02

राजस्व वाद प्रकरण सं. 50/95 Gcms No. 1995/00009

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम मोटा के कामु. हरतना के कामु. लादाराम वगैरा

प्रकरण अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी पैरोकार सरकार ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम चामुण्डेरी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा मोटा पुत्र देवा मेणा अनुसूचित जन जाति की खातेदारी थी। जो जरिये म्युटेशन संख्या 78 दिनांक 9.6.60 को मना, गणेश पि0 धूला सुथार (स्वर्ण जाति) के हस्तान्तरण की गयी। उक्त बेचान व हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (b) का उल्लंघन होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक दर्ज करने बाबत् प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। तथा प्रकरण में किया गया बेचान हस्तान्तरण 42 (b) का उल्लंघन होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी गई। विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष श्री ओमदवे ने बहस में वादी पेरोकार सरकार की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि उक्त प्रकरण में अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति से गैर अनुसूचित जन जाति अर्थात् स्वर्ण जाति सुथार जाति के सदस्यो के पक्ष में किया गया बेचान व अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 42 (b) प्रभाव में आने की तिथि 1964 से पुर्व का अन्तरण है। जिससे उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 42 (b) का उल्लंघन नहीं होने से वादी पक्ष का वाद खारिज योग्य है। उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:–

1 आया मौजा चामुण्डेरी के गत् खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा मोटा पुत्र देवा मेणा (अनु. जन जाति) की खातेदारी थी, जो जरिये म्युटेशन संख्या 78 दिनांक 09.06.1960 को मना, गणेश पि0 धुला सुथार (सवर्ण जाति को हस्तान्तारण हुई ?.....वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी पेरोकार सरकार का था। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 16.09.1980 से प्रमाणित है, की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा मोटा पुत्र देवा मेणा (अनु. जन जाति) की खातेदारी थी, जो जरिये म्युटेशन संख्या 78 दिनांक 09.06.1960 को मना, गणेश पि0 धुला सुथार (सवर्ण जाति के नाम दर्ज होने से धारा 42 बी का उल्लंघन होने से राजकीय सिवायचक घोषित की गई। जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

2 आया उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) के विपरित होने से वादी धारा 17 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही कराने का अधिकारी है ?.....वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादी का था। तनकी संख्या 0 में किये विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जनजाति मीणा समुदाय के नाम की खातेदारी होने के बावजूद सुथार जाति(सवर्ण) के नाम हस्तांतरण होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) विपरित होने से वादी धारा 17 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही कराने का अधिकारी होने से वाद प्रस्तुती का अधिकारी है। उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

3 आया उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) के प्रावधानों के विपरित होने से उपखण्ड अधिकारी, बाली के निर्णय दिनांक 28.10.1989 से मौजा चामुण्डेरी के पुराने खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा को सिवायचक घोषित किये जाने के आदेश दिये है अथवा नहीं ?..... वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी का था। पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 16.09.1980 के अवलोकन से प्रमाणित है कि उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) के प्रावधानों के विपरित होने से उपखण्ड अधिकारी, बाली के निर्णय दिनांक 28.10.1989 से मौजा चामुण्डेरी के पुराने खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा को सिवायचक घोषित किये जाने के आदेश दिये है। लिहाजा उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

4 उक्त भूमि पुराने खसरा नंबर 319, 321 व 322 कुल रकबा 8.17 बीघा के भू–भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 1206, 1207, 1208 कुल रकबा 1.30 हैक्टर वर्तमान अधिकार अभिलेखों में सिवायचक दर्ज होने से गैर सायलान को कोई हक अधिकार इस भूमि के संबंध में प्राप्त नहीं है ?.....वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी का था। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों व न्यायालय द्वारा ऑनलाइन निकाली गई जमाबंदी की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि चामुण्डेरी के हाल खसरा नंबर 1206, 1207, 1208 कुल रकबा 1.30 हैक्टर वर्तमान अधिकार अभिलेखों में सिवायचक दर्ज है। जिससे गैर सायलान को कोई हक अधिकार इस भूमि के संबंध में प्राप्त नहीं है। लिहाजा उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

5 आया विवादित भूमि को उपखण्ड अधिकारी, बाली ने अपने निर्णय दिनांक 28.10.1989 के गलत रूप से सिवायचक घोषित किये जाने से गैर सायलान गणेश, मन्ना पिसरान् धुलाजी जाति सुथार नि. विगनपुरा द्वारा इसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में की गई थी, जो अपील अपीलांट दिनांक 22.05.1992 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, बाली के निर्णय दिनांक 28.10.1989 को अपास्त किया जा चुका है ?.....प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....03

राजस्व वाद प्रकरण सं. 50/95 Gems No. 1995/00009

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम मोटा के कामु. हरतना के कामु. लादाराम वगैरा

प्रकरण अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.05.1992 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 28.10.1989 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

6 आया गैर सायलान पुन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय अनुसार विवादित भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है ?..............................प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। तनकी संख्या 05 में किये निर्णय के अनुसार यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपील में दिनांक 22.05.1992 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.1989 को अपास्त किया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने निर्णय में प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देश दिये गये कि प्रकरण को वाद के रूप में परिवर्तित कर नियमानुसार तनकीयात कायम करके एवं पक्षकारों को अपने गवाहों एवं सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19.07.1993 के अवलोकन से ज्ञात है कि उक्त पत्रावली प्रतिप्रेषण से प्राप्त होने पर पुनः सुनवाई के लिये ली गई है। पत्रावली की आदेशिकाओं व अब तक की कार्यवाही के अवलोकन से यह स्वीकार्य तथ्य है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.05.1992 की अक्षरशः पालना करते हुये प्रतिवादी पक्ष का जवाब लिया गया तथा इसके पश्चात दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण में कायम तनकीयात को अपने पक्ष में साबित कराने के लिये वादी एवं प्रतिवादी पक्ष दोनों को समुचित अवसर न्यायालय द्वारा दिये गयें। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के पश्चात किसी प्रकार का ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया जो यह प्रमाणित करें कि हस्तगत प्रकरण में दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 09.06.1960 धारा 42 बी के विपरीत नहीं था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वाद कार्यवाही में प्रस्तुत अपनी मौखिक साक्ष्य के माध्यम से भी इस तथ्य का खंडन नहीं कराया है। इस प्रकार जब प्रकरण में धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित है तो प्रतिवादी किस बिनाय पर पुनः खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी रहता है। लिहाजा उक्त तनकी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओं को उपरोक्तानुसा निर्णीत किये जाने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि वर्णित भूमि बाबत प्रकरण संख्या 536/79 में प्रथम निर्णय दिनांक 16.09.1980 से भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में भूमि सिवायचक दर्ज हुई। जिसकी अपील आरएए जोधपुर के न्यायालय में की गई जो अपील संख्या 186/80 दिनांक 09.05.1983 को अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये इस न्यायायल के आदेश दिनांक 16.09.1980 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषण किया। जिसकी पालना में प्रकरण पुनः सुनवाई पर लेते हुये दिनांक 28.010.1989 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 (4ए) के तहत ग्राम चामुण्डेरी स्थित वादग्रस्त भूमि गत खसरा नंबर 319, 321, 322 कुल रकबा 8.17 बीघा राजकीय सिवायचक घोषित की गई। जिसकी पुनः अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में प्रतिवादी पक्ष द्वारा की गई। जो अपील दिनांक 22.05.1992 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 28.10.1989 को अपास्त किया तथा प्रकरण प्रतिप्रेषण कर वाद के तौर पर कार्यवाही निर्णय पारित किये जाने के निर्देश पारित किये गये। जिन निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुये उपरोक्तानुसार वाद बिन्दु कायम करते हुये वाद बिन्दुओं को निर्णीत किया गया है। न्यायालय पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.1989 व दिनांक 16.09.1980 को पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधिक प्रावधानों के तहत उचित नही समझता है। पत्रावली में न्यायालय द्वारा ऑनलाइन निकाली गई जमाबंदी की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि चामुण्डेरी के हाल खसरा नंबर 1206, 1207, 1208 कुल रकबा 1.30 हैक्टर वर्तमान अधिकार अभिलेखों में सिवायचक दर्ज है। जिससे पुनः सिवाचक दर्ज किये जाने के आदेश की आवश्यकता नहीं रहती है परंतु पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04.01.1995 के अवलोकन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि चामुण्डेरी के खसरा नंबर 1206, 1207, 1208 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रकरण के निर्णय तक प्रतिवादी गणेश वगैरा के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, प्रकरण निर्णीत होने से दिनांक 04.01.1995 की अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री वादी तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

निर्णय आज दिनांक 24-05-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली